बनवारी बनाम सरपंच गुल्लाना
अपील - 07/2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25-4-24	पत्रावली पेश हुई। रिकॉर्ड तलबी हेतु पुनः तहसील जारी होकर पत्रावली श्रा.वा. 2-5-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)
2-5-24	पत्रावली पेश हुई। रिकॉर्ड तलबी हेतु पुनः तहसील जारी होकर 23-5-24 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)
23.5.2024	पत्रावली पेश हुई । प्रकरण के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में ग्राम पंचायत गुल्लाना द्वारा आज दिनांक को रिपोर्ट पेश की, मुताबिक ग्राम पंचायत रिपोर्ट के अनुसार उनवान बनवारीलाल बनाम सरपंच गुल्लाना के निर्णय दिनांक 16.2.2008 को पारित का रिकोर्ड के संबंध में अंकन किया है कि ग्राम पंचायत गुल्लाना में ग्राम पंचायत बैठक कार्यवाही दिनांक 5.2.2008 व 20.2.2008 को की गई थी । हमने पत्रावली का अवलोकन किया । मुताबिक संलग्न नामान्तकरण प्रति के, यह तथ्य स्वयंसिद्ध है कि प्रश्नगत नामान्तकरण संख्या 36 रामा कुकरवाडी खाता संख्या 19, 22, 23 दिनांक 16.2.2008 को तहसीलदार, बसवा द्वारा स्वीकृत किया गया था । इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तकरण जिसके विरुद्ध अपील न्यायालय हाजा में पेश की है, वह ग्राम पंचायत से संबंधित नहीं होकर, तहसीलदार, बसवा से संबंधित है। चूंकि न्यायालय हाजा को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत नामान्तकरणों की अपील सुनने [illegible] अधीकार नियमों में निरूपित है । [illegible] नामान्तकरण के स्वीकृतकर्ता अधिकारी तहसीलदार बसवा है [illegible] तहसीलदार स्तर से स्वीकृत नामान्तकरणों की अपील का क्षेत्राधिकार संबंधित न्यायालय जिला कलक्टर/अति. जिला कलक्टर को प्राप्त होता है । अतः प्रस्तुत नामान्तकरण की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं होने के कारण, अपील खारिज की जाकर नंबर से कम की जाती है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । उपखण्ड अधिकारी बसवा (दौसा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Meena
Date: 2024.05.24 17:07:54 IST
Reason: SelfAttested